न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः— श्री **कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **135/2019** दायर दिनाँक **13.06.2019**

वादी

1. श्योलाराम पुत्र रामबक्ष
2. माणकचन्द पुत्र श्योलाराम
3. निर्मल कुमार पुत्र श्योलाराम
4. जीवणराम पुत्र श्योलाराम

समस्त जाति नाई निवासी भाडासर, तहसील— डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री अशोक कुमार भाकर वकील वादी।

दिनाँक **22.04.2022**

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है यह है कि वादीगण की कृषि भूमि खसरा सं0 147 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 148 रकबा 0.1200 हैक्टे0, खसरा सं0 149 रकबा 9.6500 हैक्टे0 ग्राम भाडासर पटवार क्षैत्र डाकीपुरा, भू0 अभि0 नि0 क्षैत्र धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में है।

यह है कि वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में उनके हक अधिकार की आई भूमि के राजस्व रेकर्ड में उनका नाम वादी सं0 01 का नाम शोला पुत्र रामबक्ष दर्ज कर दिया है जबकि वादी सं0 01 का सही व वास्तविक नाम श्योलाराम पुत्र रामबक्ष है जो कि सही है तथा वादी सं0 02 का नाम नन्दलाल पुत्र शोलाराम दर्ज कर दिया है जबकि वादी सं0 02 का सही व वास्तविक नाम माणकचन्द पुत्र श्योलाराम है जो कि सही है तथा वादी सं0 03 का नाम नारायण पुत्र शोलाराम दर्ज कर दिया है जबकि वादी सं0 03 का सही व वास्तविक नाम निर्मल कुमार पुत्र श्योलाराम है जो कि सही है। परन्तु राजस्व रेकर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से कर दिया है व वादी सं0 04 जीवणराम के स्थान पर जीवणमल दर्ज कर दिया जबकी सही नाम जीवणराम है।

प्रार्थना वादीगण निम्न प्रकार है :—

कि दावा डिक्री बहक वादीगण एवं विरूद्ध प्रतिवादी किया जाकर वादपत्र में उपरोक्त वर्णितानुसार खसरा सं0 147 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 148 रकबा 0.1200 हैक्टे0, खसरा सं0 149 रकबा 9.5100 हैक्टे0 कुल रकबा 9.6500 हैक्टे0 ग्राम भाडासर, पटवार क्षैत्र डाकीपुरा, भू अभि0 नि0 क्षैत्र धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में वादी सं0 01 का नाम शोला के स्थान पर श्योलाराम तथा वादी स0 02 के नन्दलाल के स्थान पर सही नाम माणकचन्द व वादी सं0 03 नारायण के स्थान पर निर्मल कुमार व वादी सं0 04 जीवणमल के स्थान पर जीवणराम दुरूस्त किया जाकर दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:25 IST
Reason: SelfAttested

वदीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गय तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 336 दिनांक 10.01.2021 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

वदीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गय तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 336 दिनांक 10.01.2021 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। वाद में तहसीलदार डीडवाना व आधार कार्ड आई डी के अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरान् में वादीगण के नाम श्योला पुत्र रामबक्ष के स्थान पर श्योलाराम पुत्र रामबक्ष, नन्दलाल पुत्र शोलाराम के स्थान पर माणकचन्द पुत्र श्योलाराम, नारायण पुत्र शोलाराम के स्थान पर निर्मल कुमार पुत्र श्योलाराम व जीवणमल पुत्र श्योलाराम के स्थान पर जीवणराम पुत्र श्योलाराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार व उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर वाकै भाडासर के खसरा सं0 147 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 148 रकबा 0.1200 हैक्टे0, खसरा सं0 149 रकबा 9.5100 हैक्टे0 कुल रकबा 9.6500 हैक्टे0 में वादीगण के नाम श्योला पुत्र रामबक्ष के स्थान पर श्योलाराम पुत्र रामबक्ष, नन्दलाल पुत्र शोलाराम के स्थान पर माणकचन्द पुत्र श्योलाराम, नारायण पुत्र शोलाराम के स्थान पर निर्मल कुमार पुत्र श्योलाराम व जीवणमल पुत्र श्योलाराम के स्थान पर जीवणराम पुत्र श्योलाराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **22.04.2022** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **135/2019** दायर दिनाँक **13.06.2019**

वादी

1. श्योलाराम पुत्र रामबक्ष
2. माणकचन्द पुत्र श्योलाराम
3. निर्मल कुमार पुत्र श्योलाराम
4. जीवणराम पुत्र श्योलाराम

समस्त जाति नाई निवासी भाडासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **22.04.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अशोक कुमार भाकर वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार व उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर वाकै भाडासर के खसरा सं0 147 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 148 रकबा 0.1200 हैक्टे0, खसरा सं0 149 रकबा 9.5100 हैक्टे0 कुल रकबा 9.6500 हैक्टे0 में वादीगण के नाम श्योला पुत्र रामबक्ष के स्थान पर श्योलााराम पुत्र रामबक्ष, नन्दलाल पुत्र शोलाराम के स्थान पर माणकचन्द पुत्र श्योलाराम, नारायण पुत्र शोलाराम के स्थान पर निर्मल कुमार पुत्र श्योलाराम व जीवणमल पुत्र श्योलाराम के स्थान पर जीवणराम पुत्र श्योलाराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **22.04.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(मुहर: सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हुए दो मुकदमा ... चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(मुहर: सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

Scanned with Oken Scanner